

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 52/2019

श्रीमती मुरला पत्नी स्व0 सूरजमल आयु 50 साल जाति गुर्जर निवासी नगला बजारा बस्त्रावली
तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

.....रेस्पोंडेन्ट


अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश
तहसीलदार बयाना दिनांक 20.06.2019 पत्रावली संख्या 17/2019
उनवानी सरकार बनाम श्रीमती मुरला अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व
अधिनियम।

उपरिथत :- 1. श्री चौबसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.02.2021


अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रैस्पोंडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना
दिनांक 20.06.2019 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू
राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.25 है० में
से 0.05 है० पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश
के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।


अभिभाषक जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्त ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.25 है० की किस्म भूमि बंजड चारागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यहां कभी भी चारागाह भूमि नहीं रही है और न ही अपीलान्त ने दिनांक 11.06.2019 या इससे पूर्व अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्त का पक्का मकान पूर्वजों के समय से बना हुआ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्त के विरुद्ध वर्ष 2001 में 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के यहां अपील की गई थी उन्होने धारा 91 की कार्यवाही को ड्रॉप करते हुये भूमि का आबादी विस्तार करने के आदेश दिये थे। ग्राम पंचायत पालीडांग ने ग्राम पंचायत की सभा में दिनांक 14.04.2013 को उक्त भूमि के लिये प्रस्ताव पारित किया कि चारागाह भूमि के स्थान पर आबादी में परिवर्तन करने के लिये ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि उक्त भूमि में बने हुये मकानों में बिजली के कनेक्शन राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं जिसके बिल का भुगतान अपीलान्त बहुत समय से करता चला आ रहा है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तहसीलदार बयाना दिनांक 22.02.2001 को इस भूमि को आबादी हेतु अपीलान्त के पक्ष में नियमन करने की सिफारिश की गई थी। विवादित भूमि पर राज्य सरकार द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। अन्त में वकील अपीलान्त ने अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्त के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत



अभिभाषक जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूवी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। मुताविक रिपोर्ट पटवारी हल्का विवादित आराजी खसरा नम्बर 538 रकवा 0.25 है० वाकै ग्राम बस्त्रावली किस्म चारागाह में से 0.05 है० पर पक्का मकान व बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा/अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट का यह कहना कि विवादित भूमि कभी चारागाह नहीं रही है, वर्ष 2001 में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर के निर्णय में आवादी विस्तार के आदेश, दिनांक 22.02.2001 को तहसीलदार बयाना के नियमन की सिफारिस तथा स्कूल बनाने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं है इसलिये अपीलान्ट के कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है साथ ही तहसीलदार बयाना को यह यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अतिक्रमण आवादी विस्तार किये जाने योग्य तो उसके संदर्भ में पृथक से कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार बयाना की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को सुनाया गया।


(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)